NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 25-03-2025

विषय सूची

सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध न्यायपालिका की आंतरिक जाँच

समावेशी विकास

सरकार ने MSMEs के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड अधिसूचित किए

पहचान में DNA की भूमिका

संक्षिप्त समाचार

सांसदों के वेतन में वृद्धि

पीएम विकास योजना

सरकार ने 6% इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा

डैले मिर्च (Dalle Chilly)

AIKEYME और IOS सागर

ब्लैक कार्बन

ब्लू फ्लैग टैग

कश्मीर हिमालय में पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है

भारत की हीट एक्शन प्लान

सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

परिचय

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि IIT सहित उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कृषि संकट के कारण किसानों की आत्महत्या की संख्या से भी अधिक है।
- बार-बार होने वाली ये घटनाएँ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से निपटने में संस्थागत ढांचे पर प्रकाश डालती हैं, तथा आत्महत्याओं को रोकने के लिए बेहतर तंत्र की आवश्यकता पर बल देती हैं।

टास्क फोर्स की स्थापना

- **10 सदस्यीय टास्क फोर्स:** रैगिंग, जाति-आधारित भेदभाव, शैक्षणिक दबाव, वित्तीय तनाव और मानसिक स्वास्थ्य कलंक सहित छात्र आत्महत्या के कारणों की जाँच के लिए गठित।
- **वर्तमान ढांचे का मूल्यांकन:** टास्क फोर्स उच्च शिक्षा में वर्तमान कानूनों, नीतियों और ढांचे की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेगी और सुधार का सुझाव देगी।
- **औचक निरीक्षण का अधिकार:** टास्क फोर्स को उच्च शिक्षा संस्थानों में औचक निरीक्षण करने का अधिकार है।
- **लचीला अधिदेश:** यदि आवश्यक हो तो टास्क फोर्स अपने निर्दिष्ट अधिदेश से परे सिफारिशें भी कर सकता है।
- **रिपोर्टिंग समय-सीमा:** न्यायालय ने टास्क फोर्स को चार महीने के अन्दर अंतरिम रिपोर्ट और आठ महीने के अन्दर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

भारत में छात्रों की आत्महत्या

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, देश में 13,000 से अधिक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं।
- **छात्र आत्महत्याओं में वृद्धि:** भारत में छात्र आत्महत्याओं की दर 4% की चिंताजनक वार्षिक दर से बढ़ी है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है।
- **लिंग प्रवृत्ति:** 2021-2022 के बीच, पुरुष आत्महत्या में 6% की कमी आई, जबकि महिला आत्महत्या में 7% की वृद्धि हुई।
- **राज्य:** महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में एक तिहाई छात्र आत्महत्याएँ होती हैं।

छात्रों की आत्महत्या में वृद्धि के कारण

- **शैक्षणिक दबाव:** शैक्षणिक संस्थानों में, विशेषकर कोटा जैसे कोचिंग केंद्रों में, तीव्र प्रतिस्पर्धा और उच्च अपेक्षाएँ।
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:** अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रणालियों के साथ छात्रों में अवसाद, चिंता और तनाव की दर बढ़ रही है।
- **सामाजिक कलंक:** मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक, छात्रों को सहायता लेने से हतोत्साहित करता है।
- **जाति और लिंग भेदभाव:** शैक्षणिक संस्थानों के अन्दर जाति, लिंग और अन्य सामाजिक कारकों के आधार पर भेदभाव।
- **पारिवारिक एवं वित्तीय तनाव:** शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए परिवारों का दबाव, प्रायः वित्तीय कठिनाइयों के साथ जुड़ा होता है।
- **असफलता और शैक्षणिक असफलताएँ:** परीक्षा में असफल होने से संघर्ष, शैक्षणिक उपलब्धि में कमी, तथा असफलता का भय, जो निराशा की ओर ले जाता है।
- **सहायता प्रणालियों का अभाव:** शैक्षणिक संस्थानों में परामर्श सेवाओं और मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना का अभाव।

- **सोशल मीडिया और साथियों का दबाव:** आत्मसम्मान, साथियों के साथ तुलना और बदमाशी पर सोशल मीडिया का प्रभाव।

सरकारी पहल

- **मनोदर्पण पहल:** केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 'मनोदर्पण' नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जो राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन और वेबसाइट के माध्यम से छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है।
- **राजस्थान सरकार की कार्रवाई:** 2022 और 2023 में मानसिक स्वास्थ्य दिशानिर्देश जारी किए गए, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा लागू किया गया।
  - छात्रों की सहायता के लिए 90 मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता नियुक्त किये गये।
  - छात्र सहायता के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई।
  - 10,000 छात्रावास द्वारपालों को छात्रों में मानसिक संकट के लक्षणों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
- **कोटा में DM के साथ डिनर पहल:** एक कार्यक्रम जहाँ संकटग्रस्त छात्र सहायता और परामर्श के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिल सकते हैं।
- **सहायता के लिए हेल्पलाइन:** संकट या आत्महत्या की प्रवृत्ति का सामना कर रहे छात्र सहायता के लिए 104 हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं।
- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति:** शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और जागरूकता में सुधार पर केंद्रित।

आगे की राह

- **मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता:** IC3 (कैरियर परामर्श कार्यक्रम) संस्थान प्रतिस्पर्धी दबावों की तुलना में छात्र कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए शैक्षिक फोकस में बदलाव की आवश्यकता पर बल देता है।
- **एनसीआरबी रिपोर्ट:** रिपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और छात्र आकांक्षाओं को संबोधित करने के लिए संस्थानों के अन्दर एक मजबूत, एकीकृत कैरियर और कॉलेज परामर्श प्रणाली का समर्थन करती है।
  - रिपोर्ट में आत्महत्याओं को रोकने के लिए अकादमिक प्रतिस्पर्धा से हटकर छात्रों की मूल क्षमताओं और कल्याण के पोषण पर ध्यान केंद्रित करने के महत्त्व पर बल दिया गया है।

Source: IE

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध न्यायपालिका की आंतरिक जाँच

संदर्भ

- हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आचरण की अभूतपूर्व तीन सदस्यीय आंतरिक जाँच शुरू की।

आंतरिक जाँच के बारे में

- **उत्पत्ति और विकास:**
  - बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए. एम भट्टाचार्य के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के आरोपों के बाद 1995 में आंतरिक जाँच तंत्र की आवश्यकता उत्पन्न हुई।
  - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 में पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी के विरुद्ध आरोपों से संबंधित एक मामले के बाद आन्तरिक प्रक्रिया तैयार की गई थी।
  - 2014 में यौन उत्पीड़न की शिकायत के बाद सात-चरणीय जाँच ढांचे की स्थापना के बाद इस प्रक्रिया को परिष्कृत किया गया

आन्तरिक जाँच की मुख्य विशेषताएँ

- **महाभियोग से भिन्न:** महाभियोग के विपरीत, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, आंतरिक जाँच एक आंतरिक तंत्र है जिसका उद्देश्य न्यायिक मूल्यों के साथ असंगत आचरण को संबोधित करना है।
- **जाँच समितियों का गठन:** निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए समितियों में सामान्यतः विभिन्न उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं।

- वर्तमान मामले के लिए तीन सदस्यीय समिति में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश शामिल हैं।

- **पारदर्शिता:** हाल की जाँचों ने पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, तथा रिपोर्ट और साक्ष्य सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाये गये हैं।

आंतरिक जाँच की प्रक्रिया

- **प्रारंभिक जाँच:** न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतों की जाँच सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा, अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।
- **समिति का गठन:** यदि प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होता है, तो आरोपों की जाँच के लिए तीन न्यायाधीशों की समिति गठित की जाती है।
- **जाँच कार्यवाही:** समिति साक्ष्य की जाँच करती है, आरोपी न्यायाधीश से प्रश्न करती है, तथा यह निर्धारित करती है कि आरोपों में दम है या नहीं।
- **रिपोर्ट प्रस्तुत करना:** समिति अपने निष्कर्ष मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करती है, जो आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेते हैं।

संभावित परिणाम

- यदि न्यायाधीश को कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो संसदीय महाभियोग के माध्यम से उसे हटाने पर विचार करने के लिए रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती है।
- यदि कदाचार मामूली है, तो न्यायाधीश को स्वेच्छा से त्यागपत्र देने की सलाह दी जा सकती है।
- यदि आरोप निराधार हों तो मामला समाप्त कर दिया जाता है।

आंतरिक जाँच प्रक्रिया में चुनौतियाँ

- **पारदर्शिता का अभाव:** जाँच बंद दरवाजों के पीछे की जाती है और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती। इससे जवाबदेही को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **कोई बाध्यकारी प्राधिकार नहीं:** भले ही कदाचार सिद्ध हो जाए, न्यायपालिका प्रत्यक्षतः किसी न्यायाधीश को नहीं हटा सकती; संसद द्वारा महाभियोग की आवश्यकता है।
- **दुर्लभ महाभियोग:** जटिल महाभियोग प्रक्रिया न्यायाधीशों को हटाना लगभग असंभव बना देती है, जैसा कि न्यायमूर्ति रामास्वामी (1991) और न्यायमूर्ति एस. एन. शुक्ला (2022) के मामलों में देखा गया है।
- **राजनीतिक प्रभाव:** महाभियोग प्रक्रिया राजनीतिक कारणों से प्रभावित हो सकती है, जिससे इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।
- **विलंबित न्याय:** जाँच में प्रायः वर्षों लग जाते हैं, जिससे न्यायिक जवाबदेही में जनता का विश्वास कम हो जाता है।

भारत में न्यायिक जाँच के उल्लेखनीय मामले

- **न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी मामला (1991):** महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने वाले पहले न्यायाधीश, लेकिन राजनीतिक चालबाज़ी के कारण संसद उन्हें हटाने में विफल रही।
- **न्यायमूर्ति सौमित्र सेन मामला (2011):** आंतरिक जाँच में वित्तीय कदाचार का दोषी पाया गया; राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन लोकसभा में मतदान से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
- **जस्टिस एस. एन. शुक्ला केस (2022):** निजी मेडिकल कॉलेजों को लाभ पहुँचाने का आरोप; आंतरिक जाँच में उन्हें दोषी पाया गया, लेकिन महाभियोग नहीं लगाया गया।

सुधार के लिए सिफारिशें

- **जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक करें:** पारदर्शिता बढ़ाने से जनता का विश्वास बढ़ेगा।
- **न्यायिक निगरानी निकायों को मजबूत बनाना:** न्यायिक मानक एवं जवाबदेही आयोग की स्थापना न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

- **वैकल्पिक अनुशासनात्मक तंत्र लागू करना:** केवल महाभियोग पर निर्भर रहने के बजाय, निलंबन या जुर्माना जैसी अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाइयों पर विचार किया जाना चाहिए।
- **समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करना:** न्यायिक कदाचार को दण्डित होने से बचाने के लिए जाँच में देरी को न्यूनतम किया जाना चाहिए।

Source: IE

समावेशी विकास

संदर्भ

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ में माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के लिए समावेशी विकास के महत्त्व पर बल दिया।

परिचय

- उन्होंने आधुनिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित करने तथा विकास प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।
- नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद (LWE) भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक है।
  - नक्सलवादी हिंसक तरीकों से राज्य को उखाड़ फेंकना चाहते हैं।
- भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को 'लाल गलियारा' के नाम से जाना जाता है।
- छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और बिहार राज्य गंभीर रूप से प्रभावित माने जा रहे हैं।
- उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए "संतृप्ति दृष्टिकोण" पर जोर दिया कि भारत की विकास यात्रा में कोई भी नागरिक पीछे न छूटे।

समावेशी विकास क्या है?

- समावेशी विकास से तात्पर्य एक विकास दृष्टिकोण से है जो यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी वर्गों को अवसरों, संसाधनों और आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति के लाभों तक समान पहुँच प्राप्त हो।
  - इसका ध्यान असमानता को कम करने और विविध जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है।
- विकास अर्थशास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो समावेशी विकास के भारतीय मॉडल के तीन स्तंभ हैं: बाजार अर्थशास्त्र, सशक्तिकरण और व्यावहारिकता।
- विश्व आर्थिक मंच के समावेशी विकास सूचकांक (IDI) में भारत 74 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से 62वें स्थान पर था, जिसे पिछली बार 2018 में जारी किया गया था।

Figure 1: Inclusive Growth and Development Key Performance Indicators

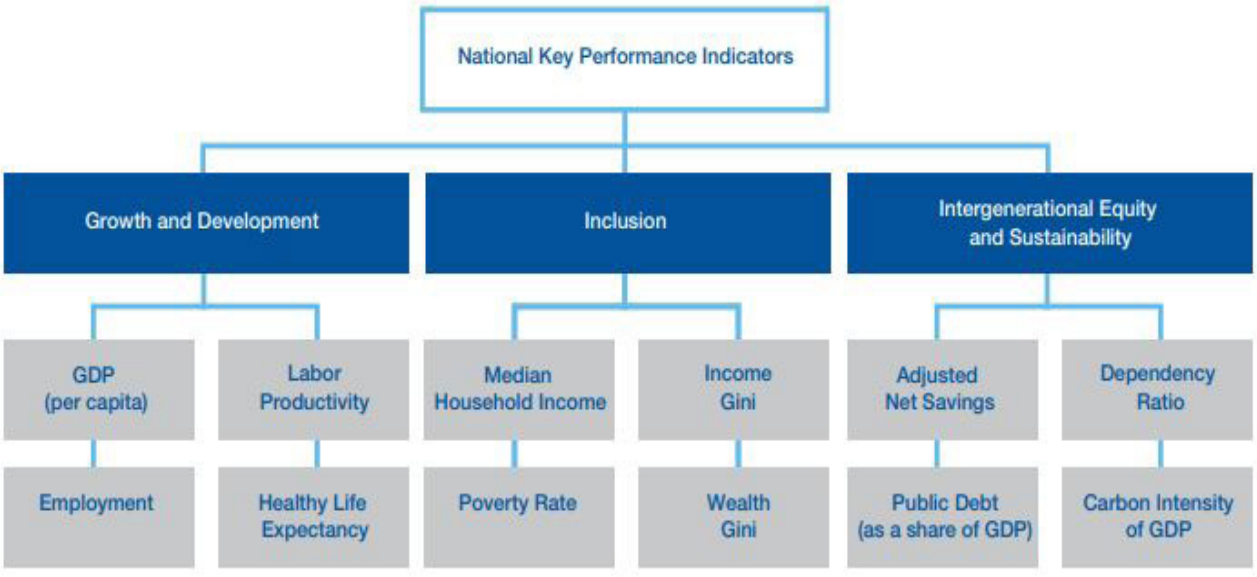

- **समावेशी विकास के लिए तीन प्रमुख दृष्टिकोणों में शामिल हैं:**
  - सुशासन (प्रगतिशील राजनीति, प्रभावी प्रबंधन और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफल भागीदारी);
  - संरचनात्मक परिवर्तन, (आर्थिक, सामाजिक एवं जनसांख्यिकीय), और;
  - बहुआयामी नीति और कार्यक्रम मिश्रण (व्यापक आर्थिक नीतियाँ, सुदृढ़ संस्थान, सार्वजनिक-निजी क्षेत्र नीति विकास, प्रभावी आर्थिक विकास)।

समावेशी विकास के लिए पहचाने गए खंड

- **जनजातीय और ग्रामीण समुदाय:** समाज में समुदायों का आत्मसात; बुनियादी स्तर पर शिक्षा देना; बिजली, नेटवर्क कनेक्टिविटी; सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी; पक्के मकान; नई बुनियादी प्रौद्योगिकियों से परिचय आदि।
- **शारीरिक रूप से विकलांग:** व्हीलचेयर और दृश्य-श्रव्य सहायता जैसी सुविधाएँ प्रदान करना; आसान पहुँच के लिए रैंप और सामरिक पथों की स्थापना; दिव्यांग व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना; विशेष रूप से सक्षम कौशल, आदि।
- **बैंकिंग सुविधा से वंचित वर्ग को सुव्यवस्थित करना:** ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बैंक खातों के महत्त्व, वित्तीय साक्षरता, मोबाइल बैंकिंग आदि के संबंध में जागरूकता प्रदान की जानी चाहिए।
- **महिलाएँ:** गर्भावस्था पूर्व एवं पश्चात देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, शिशु देखभाल, कौशल विकास, वित्तीय सुधार के अवसर आदि।

समावेशी विकास और वृद्धि के बीच अंतर:

पहलू	समावेशी वृद्धि	समावेशी विकास
फोकस	मुख्य रूप से आय और रोजगार जैसे आर्थिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।	व्यापक दायरा, जिसमें सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचा शामिल हैं।
मापन	इसे प्रायः सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, आय स्तर और रोजगार दरों के आधार पर मापा जाता है।	HDI (मानव विकास सूचकांक), जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक समानता जैसे संकेतकों द्वारा मापा जाता है।
नीति दृष्टिकोण	समान आर्थिक अवसर सृजित करने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना।	ऐसी नीतियों का समर्थन करना जो कल्याणकारी योजनाओं सहित आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करती हों।

भारत में समावेशी विकास की आवश्यकता

- **असमानता का समाधान:** भारत में आय, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जीवन स्तर में काफी असमानताएँ हैं, विशेष रूप से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच।
- **हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाना:** जनजातीय समुदायों, महिलाओं और दिव्यांगों सहित समाज के बड़े वर्ग मुख्यधारा के विकास और अवसरों से वंचित हैं।
- **सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना:** समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, विकास के लाभों तक पहुँच मिले, निष्पक्षता को बढ़ावा मिले और सामाजिक तनाव कम हो।
- **आर्थिक विकास:** भारत अपनी जनसंख्या की पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सकता है, जिससे अधिक सतत और न्यायसंगत आर्थिक विकास हो सकेगा।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता:** अधिक समावेशी समाज अधिक उत्पादक, कुशल और नवीन कार्यबल का निर्माण करता है, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।

- **सतत विकास:** यह भावी पीढ़ियों सहित समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए दीर्घकालिक, सतत विकास के लक्ष्य के अनुरूप है।

समावेशी विकास के लिए संवैधानिक ढांचा

- **मौलिक अधिकार (भाग III):**
  - **कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14):** सभी नागरिकों के लिए समानता की गारंटी देता है।
  - **भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15):** यह सुनिश्चित करता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए।
  - **अवसर की समानता (अनुच्छेद 16):** सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है।
  - **शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A):** 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है।
  - **अल्पसंख्यकों का संरक्षण (अनुच्छेद 29 और 30):** अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है।
- **राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (भाग IV):**
  - **सामाजिक न्याय (अनुच्छेद 38):** लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है, न्याय पर ध्यान केंद्रित करता है और असमानताओं को कम करता है।
  - **कमजोर वर्गों को प्रोत्साहन (अनुच्छेद 46):** इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना है।
- **आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई:** अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति देते हैं, जैसे कि SCs, STs और OBCs के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण।
- **पंचायतें और स्थानीय शासन (भाग IX):** अनुच्छेद 243N स्थानीय स्वशासन को मजबूत करता है, तथा हाशिए पर पड़े समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- **कमजोर समूहों के लिए कानूनी संरक्षण:** नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जैसे कानून वंचित समुदायों को भेदभाव और हिंसा से बचाते हैं।
- **न्यायिक निगरानी:** सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करते हैं कि नीतियाँ समानता और न्याय के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हों।

निष्कर्ष

- सरकार की कई पहलें हैं जो हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए अवसर, संसाधन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा व्यापक विकास एवं कल्याण सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं।

Source: TH

सरकार ने MSMEs के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड अधिसूचित किए

समाचार में

- सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर और निवेश मानदंडों में महत्त्वपूर्ण संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे।

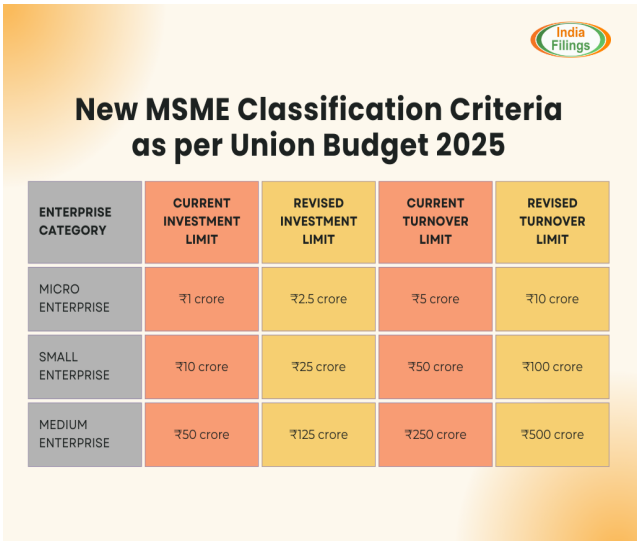

MSMEs का महत्त्व

- **गतिशील एवं जीवंत:** पांच दशकों से अधिक समय से विकसित होते हुए, MSMEs भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- **रोजगार:** 24.14 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिससे रोजगार सृजन में यह कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है।
  - 6.13 करोड़ पंजीकृत MSMEs में से लगभग 40% महिलाओं के स्वामित्व में हैं।
- **सहायक भूमिका:** बड़े उद्योगों को पूरक बनाना, सहायक इकाइयों के रूप में कार्य करना तथा समावेशी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना।
- **ग्रामीण पहुँच:** ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में सहायता करता है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएँ कम होती हैं।
- **वैश्विक पदचिह्न:** घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए उत्पादों और सेवाओं की विविध श्रेणी का उत्पादन करता है।
- **आत्मनिर्भरता मिशन:** 6 करोड़ से अधिक इकाइयों के साथ, MSMEs एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

MSMEs की चुनौतियाँ

- **वित्त तक सीमित पहुँच:** कई MSMEs के पास बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए औपचारिक ऋण इतिहास, संपार्श्विक या उचित दस्तावेज का अभाव होता है।
  - उदाहरण: सिडबी के अनुसार, केवल 16% MSMEs को औपचारिक ऋण मिलता है; बाकी लोग अनौपचारिक स्रोतों या उच्च ब्याज दरों पर NBFCs पर निर्भर हैं।
- **प्रौद्योगिकी का कम उपयोग:** अधिकांश इकाइयाँ अभी भी पुरानी मशीनरी के साथ काम कर रही हैं, जिससे उत्पादकता, गुणवत्ता और मापनीयता प्रभावित हो रही है।
  - उदाहरण: सूरत में कपड़ा MSMEs अभी भी पारंपरिक करघों पर निर्भर हैं, जिससे चीनी निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है।
- **सीमित बाजार पहुँच और निर्यात:** MSMEs भारत के निर्यात में 48% का योगदान करते हैं, लेकिन केवल एक छोटा प्रतिशत ही सीधे निर्यात करता है।
  - उदाहरण: राजस्थान में हस्तशिल्प MSMEs के पास अक्सर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या निर्यात लाइसेंस का अभाव होता है।
- **कौशल की कमी और श्रम संबंधी मुद्दे:** फिक्की के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 70% से अधिक MSMEs को कुशल जनशक्ति को नियुक्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- **खरीदारों द्वारा भुगतान में देरी:** बड़ी कंपनियाँ भुगतान में देरी करती हैं, जिससे MSMEs का नकदी प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है।
  - उदाहरण: सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आपूर्ति करने वाले MSMEs को अक्सर 3-6 महीने की देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे कार्यशील पूंजी चक्र बाधित होता है।

MSMEs को बढ़ावा देने की पहल

- **उद्यम पंजीकरण पोर्टल:** MSMEs पंजीकरण के लिए एक सरलीकृत ऑनलाइन पोर्टल, जो उन्हें एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है और विभिन्न सरकारी योजनाओं तक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है।
- **MSEs के लिए सार्वजनिक खरीद नीति:** यह अनिवार्य है कि सरकारी मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा खरीद का एक निश्चित प्रतिशत MSEs से प्राप्त किया जाना चाहिए।
- **उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP):** उद्यमिता को बढ़ावा देने और MSMEs से संबंधित कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE):** MSMEs को 5 करोड़ रुपये तक का जमानत-मुक्त ऋण प्रदान करता है। गारंटी कवरेज ऋण राशि और उधारकर्ता की श्रेणी के आधार पर भिन्न होती है।

- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमों को ₹10 लाख तक का ऋण प्रदान करती है। इन ऋणों को 'शिशु' (₹50,000 तक), 'किशोर' (₹50,000 से अधिक और ₹5 लाख तक), 'तरुण' (₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक) और 'तरुण प्लस' (200 लाख से 20 लाख के बीच) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष योजना (SFURTI):** पारंपरिक कारीगरों को समूहों में संगठित करना ताकि उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और स्थायी रोजगार प्रदान किया जा सके।
- **PM विश्वकर्मा:** यह योजना कौशल विकास, टूलकिट, ऋण पहुँच और बाजार संपर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक सहायता प्रदान करती है।

Source: TH

पहचान में DNA की भूमिका

संदर्भ

- DNA ने संग्रहित अपराध स्थल सामग्रियों से प्रोफाइलों का विश्लेषण करके पुराने मामलों को सुलझाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

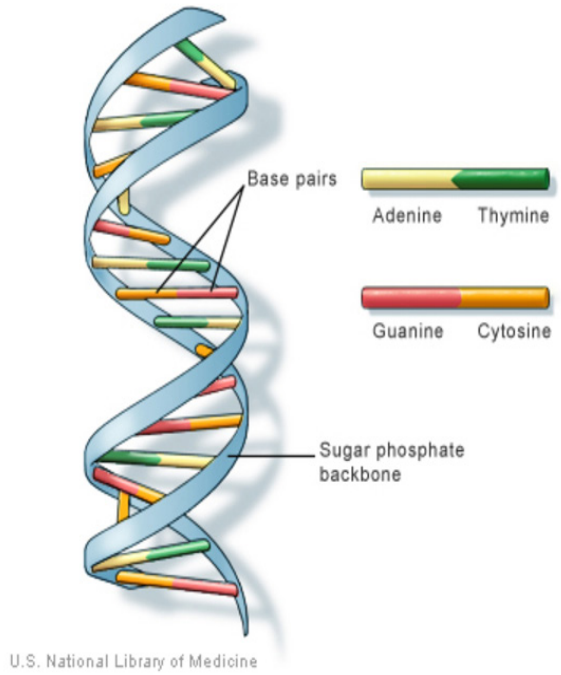

डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA)

- यह मनुष्यों और अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ है, जिसमें लगभग प्रत्येक कोशिका में एक ही DNA होता है।
- यह मुख्य रूप से कोशिका नाभिक में नाभिकीय DNA के रूप में पाया जाता है, हालांकि इसकी थोड़ी मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल DNA के रूप में मौजूद होती है।
- DNA चार रासायनिक क्षारों से बना होता है: एडेनिन (ए), गुआनिन (जी), साइटोसिन (सी), और थाइमिन (टी), जो मिलकर क्षार युग्म बनाते हैं (ए के साथ टी, सी के साथ जी)।
- ये क्षार शर्करा और फॉस्फेट अणुओं से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं जो दोहरी हेलिक्स संरचना बनाते हैं।
- इन क्षारकों का अनुक्रम जीवों के निर्माण और रखरखाव के लिए सूचना का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे अक्षर शब्दों का निर्माण करते हैं।
- DNA अपनी प्रतिकृति बना सकता है, अपनी सटीक प्रतियाँ बना सकता है, जो कोशिका विभाजन के लिए महत्त्वपूर्ण है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि नई कोशिकाओं में मूल कोशिकाओं के समान ही DNA हो।

DNA और पहचान

- DNA एक जैविक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, जिसका उपयोग व्यक्तियों की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे आधार संख्या सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य करती है।
  - DNA शरीर की प्रत्येक कोशिका में उपस्थित होता है, और प्रत्येक कोशिका में 46 DNA अणु होते हैं - 23 माता से और 23 पिता से।
  - DNA गुणसूत्रों में पैक होता है। उदाहरण के लिए, गुणसूत्र 3 में कुल DNA का 6.5% हिस्सा होता है।

बहुरूपता (Polymorphisms)

- जीनोमिक्स में बहुरूपता का तात्पर्य व्यक्तियों या जनसँख्या के बीच DNA अनुक्रम के विभिन्न रूपों के अस्तित्व से है।
- ये व्यक्तियों के बीच DNA में छोटे अंतर होते हैं, और वे माता-पिता से प्राप्त भिन्नताओं की पहचान करके वंश का पता लगाने में मदद करते हैं।

बहुरूपता का उपयोग

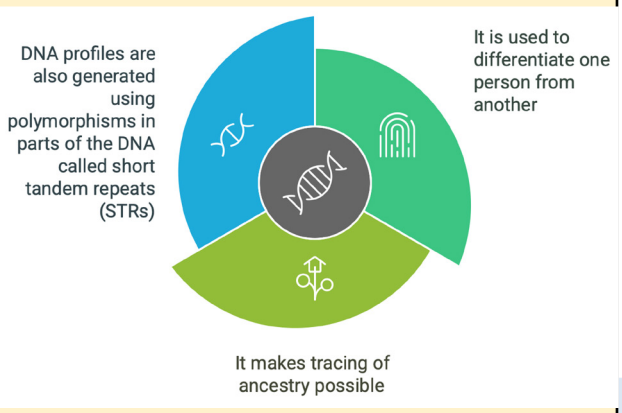

लघु अग्रानुक्रम दोहराव (STRs)

- STRs छोटे DNA अनुक्रम होते हैं जो कई बार दोहराए जाते हैं (उदाहरण के लिए, GATCGATCGATC)।
- STRs बहुरूपी होते हैं, जिसका अर्थ है कि असंबद्ध व्यक्तियों में विशिष्ट STRs में पुनरावृत्तियों की संख्या प्रायः भिन्न होती है।

पॉलिमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR)

- PCR का उपयोग विशिष्ट DNA अनुक्रमों को बढ़ाने (कॉपी करने) के लिए किया जाता है, यहां तक कि DNA की छोटी मात्रा से भी।
- इस प्रक्रिया में DNA स्ट्रैंड को अलग करना, प्राइमर को लक्ष्य अनुक्रमों से बांधना, तथा अनुक्रम की प्रतिकृति बनाने के लिए DNA पॉलीमरेज़ का उपयोग करना शामिल है। यह लगभग 50 मिनट में लाखों प्रतियाँ बना सकता है।

DNA फिंगरप्रिंट के अनुप्रयोग

- DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग फोरेंसिक विज्ञान, पितृत्व परीक्षण, आपदा पीड़ितों की पहचान और अंग दान मिलान में किया जाता है।
- वे संदिग्धों की पहचान करके या गलत तरीके से आरोपित व्यक्तियों को दोषमुक्त करके पुराने मामलों को सुलझाने में भी सहायता कर सकते हैं।

महत्त्व

- DNA अत्यधिक स्थिर होता है, और वैज्ञानिकों ने प्राचीन मानव अवशेषों (जैसे, 65,000 वर्ष पुराने) से DNA को सफलतापूर्वक निकाला है।
- यह स्थिरता, संग्रहीत सामग्रियों से अपराधों को सुलझाने में DNA को उपयोगी बनाती है।

Source :TH

संक्षिप्त समाचार

सांसदों के वेतन में वृद्धि

समाचार में

- केंद्र ने 1 अप्रैल, 2023 से सांसदों के वेतन में 24% की वृद्धि को अधिसूचित किया।
- वेतन और भत्ते आखिरी बार अप्रैल 2018 में संशोधित किए गए थे।

वेतन वृद्धि के बारे में

- वेतन में वृद्धि को आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित किया गया है।
- लोकसभा या राज्यसभा सदस्य को प्रति माह 1.24 लाख रुपये मिलेंगे, जो वर्तमान में उन्हें मिलने वाले 1 लाख रुपये से अधिक है।
- दैनिक भत्ता ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है।
- पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपये कर दी गई है।
- अपने कार्यकाल के दौरान सांसदों को नई दिल्ली में किराया-मुक्त आवास उपलब्ध कराया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- राज्य सभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं - 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं।
  - यह एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं हो सकता। हालाँकि, प्रत्येक दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर नव निर्वाचित सदस्य आ जाते हैं। प्रत्येक सदस्य छह वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है।
- लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी होती है।
  - भारतीय संविधान सदन में अधिकतम 550 सदस्यों की अनुमति देता है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का तथा 20 संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Source :TH

पीएम विकास योजना

संदर्भ

- केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री ने पुनः पुष्टि की कि पीएम विकास योजना अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर केंद्रित है।

परिचय

- प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी) के उत्थान पर केंद्रित है।
- **पांच योजनाओं का विलय:** 'सीखो एवं कमाओ', 'नई मंजिल', 'नई रोशनी', 'उस्ताद' और 'हमारी धरोहर'।
- **प्रमुख फोकस क्षेत्र:**
  - **कौशल एवं प्रशिक्षण:** गैर-पारंपरिक एवं पारंपरिक दोनों प्रकार के कौशल।
  - **महिला नेतृत्व और उद्यमिता:** नेतृत्व और व्यावसायिक अवसरों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना।
  - **शिक्षा:** राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से प्रदान की जाती है।
  - **बुनियादी ढांचे का विकास:** प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से।
  - **ऋण संपर्क:** लाभार्थियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC) के ऋण कार्यक्रमों से जोड़ना।
  - इस योजना के अंतर्गत हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (EPCH) मंत्रालय का ज्ञान साझेदार है।
- **EPCH की भूमिका:**
  - विपणन संपर्क और ब्रांडिंग प्रदान करना।
  - प्रशिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम मॉड्यूल विकसित करना।
  - जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और उत्पादक समूहों के लिए कारीगरों को संगठित करना।
- पीएम विकास योजना के अंतर्गत, कार्यान्वयन साझेदारों को NSQF से संबद्ध कौशल कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित कुल अभ्यर्थियों में से 75 प्रतिशत की नियुक्ति सुनिश्चित करनी है।

Source: PIB

सरकार ने 6% इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा

संदर्भ

- सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से ऑनलाइन विज्ञापनों पर 6% इक्वलाइजेशन लेवी (डिजिटल टैक्स) को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है।

परिचय

- **प्लेटफॉर्म:** इस कदम से गूगल, एक्स और मेटा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनदाताओं को लाभ होगा।
- **समकारी शुल्क:** ऑनलाइन विज्ञापनों पर समकारी शुल्क 2016 में लागू किया गया था, और वित्त

अधिनियम 2020 ने इसे ई-कॉमर्स सेवाओं तक बढ़ा दिया।

- इसे ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं, डिजिटल विज्ञापन स्थान और संबंधित सुविधाओं पर कर लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
- यह शुल्क ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं के लिए किसी अनिवासी द्वारा प्राप्त या प्राप्य राशि के संबंध में 6% की दर से लगाया जाता है।

- 2020 में, अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर भी इक्वलाइजेशन लेवी लगाई गई थी। यह दर 2% थी, लेकिन इसे 2024 में हटा दिया गया।
- **उद्देश्य:** प्रस्ताव का उद्देश्य अमेरिका के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण दिखाना है, जिसने 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लगाने की धमकी दी है।

Source: TH

डैले मिर्च (Dalle Chilly)

संदर्भ

- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ने सिक्किम से सोलोमन द्वीप समूह को डैले मिर्च की पहली खेप का सफलतापूर्वक निर्यात किया है।

परिचय

- डैले मिर्च अपने तीखेपन, चमकीले लाल रंग और उच्च पोषण मूल्य के लिए जानी जाती है, जिसमें स्कोविल हीट यूनिट (SHU) 100,000 से 350,000 तक होती है।
  - स्कोविल स्केल मिर्च और अन्य तीखे खाद्य पदार्थों के तीखेपन (मसालेदारपन) को मापने का एक तरीका है।
  - यह पैमाना कैप्साइसिन की सांद्रता पर आधारित है, जो मिर्च का एक सक्रिय घटक है, जो जीभ या त्वचा को छूने पर जलन पैदा करता है।
- डैले मिर्च को 2020 में भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्राप्त हुआ, जिससे इसकी विपणन क्षमता और पहचान बढ़ गई।
- **सरकारी सहायता:** भारत सरकार MOVCD-NER योजना के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिससे जैविक डैले मिर्च उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है।
- **महत्त्व:** यह निर्यात सिक्किम की वैश्विक मसाला प्रोफ़ाइल को बढ़ावा देता है और जैविक कृषि बाजार में भारत की बढ़ती प्रमुखता को उजागर करता है।

GI टैग क्या है?

- यह उन उत्पादों पर प्रयुक्त चिह्न है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है तथा जिनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है।
- भौगोलिक संकेत बौद्धिक संपदा अधिकारों का भाग हैं जो औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं।
- भारत में, भौगोलिक संकेत पंजीकरण, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है।
  - इनका उपयोग सामान्यतः कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, शराब और स्प्रिट पेय, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए किया जाता है।
- भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है, इसे समय-समय पर 10 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

GI टैग के लाभ

- यह भारत में भौगोलिक संकेतकों को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है।
- यह दूसरों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकता है।
- यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है।

Source: PIB

AIKEYME और IOS सागर

संदर्भ

- भारतीय नौसेना दो पहली पहलों- AIKEYME और IOS सागर को शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में 'पसंदीदा सुरक्षा साझेदार' और 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

AIKEYME (अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव)

- AIKEYME, जिसका संस्कृत में अर्थ 'एकता' है, अफ्रीकी देशों के साथ बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है।
  - पहले संस्करण की मेजबानी भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स (TPDF) द्वारा की जाएगी।
- यह अप्रैल 2025 के मध्य में छह दिनों के लिए तंजानिया के दार-एस-सलाम के तट पर आयोजित किया जाएगा।
- सह-मेजबानों के अतिरिक्त, इसमें भाग लेने वाले देशों में कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

हिंद महासागर जहाज (IOS) सागर

- इस पहल के एक भाग के रूप में, भारतीय नौसेना पोत (INS सुनयना) को भारत और नौ मित्र देशों (FFCs) के संयुक्त चालक दल के साथ दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।
- कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका।

Source: TH

ब्लैक कार्बन

समाचार में

- एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ब्लैक कार्बन हिम पिघलने, मानसून में व्यवधान और चरम मौसम का प्रमुख कारण है।
  - भारत, चीन के बाद विश्व में दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक कार्बन उत्सर्जक है।

ब्लैक कार्बन के बारे में

- इसे ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। सूक्ष्म कण वायु प्रदूषण (PM 2.5) का एक प्रमुख घटक।
- इसे अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक (SLCP) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि यह वायुमंडल में केवल कुछ दिनों या हफ्तों तक ही रहता है।

प्रभाव

- **वैश्विक तापन:** यह वैश्विक तापन में महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता है, मीथेन के साथ-साथ यह कुल वार्मिंग के लगभग आधे के लिए जिम्मेदार है।
- **क्षेत्रीय जलवायु प्रभाव:** बर्फ और हिम को काला कर देता है, जिससे उनकी परावर्तकता (अल्बेडो) कम हो जाती है।
  - इससे सौर विकिरण का अवशोषण बढ़ जाता है और हिम पिघलने की गति बढ़ जाती है, विशेष रूप से आर्कटिक और ग्लेशियरों में।
  - अनुमान है कि तिब्बती पठार में याला हिमनद के 39% द्रव्यमान ह्रास के लिए ब्लैक कार्बन जिम्मेदार है।
- **जल विज्ञान चक्र में व्यवधान:** एशियाई और पश्चिमी अफ्रीकी मानसून वर्षा पैटर्न में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। इस व्यवधान से बाढ़ और सूखे का खतरा बढ़ जाता है।

Source: TH

ब्लू फ्लैग टैग

समाचार में

- विशाखापत्तनम के रुशिकोंडा समुद्र तट ने पुनः ब्लू फ्लैग टैग जीत लिया।
  - भारत में वर्तमान में 13 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त है।

ब्लू फ्लैग टैग के बारे में

- ब्लू फ्लैग एक अंतर्राष्ट्रीय इको-लेबल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं और सतत नौकायन पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाता है।
- इसका प्रशासन फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE) द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय कोपेनहेगन, डेनमार्क में है।
- विश्व स्तर पर स्वच्छता, सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त।
- ब्लू फ्लैग प्राप्त करने के लिए, एक समुद्र तट/मरीना को चार मुख्य श्रेणियों में 33 सख्त मानदंडों को पूरा करना होगा:
  - पर्यावरण शिक्षा और सूचना
  - जल गुणवत्ता पर्यावरण
  - प्रबंधन सुरक्षा और
  - सेवाएँ

Source: TH

कश्मीर हिमालय में पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है

समाचार में

- एक हालिया अध्ययन में कश्मीर हिमालय में पिघलती पर्माफ्रॉस्ट से उत्पन्न बढ़ते पर्यावरणीय खतरे पर प्रकाश डाला गया है।

पर्माफ्रॉस्ट

- पर्माफ्रॉस्ट वह भूमि है जो कम से कम दो वर्षों तक पूरी तरह जमी रहती है - 32°F (0°C) या उससे कम।
- ये स्थायी रूप से जमी हुई भूमि ऊंचे पर्वतों वाले क्षेत्रों और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों - उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास - में सबसे सामान्य हैं।

चिंताएँ

- पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से सड़कें और जलविद्युत परियोजनाएँ जैसी बुनियादी संरचना नष्ट हो सकती है और ग्लेशियल झीलें अस्थिर हो सकती हैं, जिससे ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs) का खतरा बढ़ सकता है।
- जम्मू और कश्मीर में 332 प्रोग्लेशियल झीलों की पहचान की गई, जिनमें से 65 में महत्त्वपूर्ण GLOF जोखिम उपस्थित हैं। पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से ये जोखिम और बढ़ सकते हैं।

प्रभाव

- वनों की कटाई, भूमि-उपयोग में परिवर्तन, तथा बुनियादी ढांचे का विकास (सड़क, बांध, पर्यटन) जैसी मानवीय गतिविधियाँ पर्माफ्रॉस्ट को अस्थिर कर सकती हैं, जिससे इसका क्षरण अधिक खराब हो सकता है।
- पर्माफ्रॉस्ट क्षरण भूजल और नदी प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यह नदियों के आधार प्रवाह को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालाँकि, इस पर अभी भी व्यापक अध्ययन का अभाव है।

अनुशंसाएँ

- भविष्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पर्माफ्रॉस्ट की उपस्थिति पर विचार किया जाना चाहिए।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन में GLOF और क्रायोस्फेरिक खतरों को बेहतर ढंग से ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- अधिक सटीक जोखिम आकलन के लिए उपग्रह डेटा और इन-सीटू डेटा लॉगर्स दोनों के माध्यम से पर्माफ्रॉस्ट की निगरानी आवश्यक है।
- पर्माफ्रॉस्ट क्षरण की पूरी सीमा और इसके प्रभावों को समझने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है, विशेष रूप से जल संसाधनों और बुनियादी ढांचे के संबंध में।

Source :TH

भारत की हीट एक्शन प्लान

समाचार में

- एक हालिया अध्ययन के अनुसार, अधिकांश भारतीय शहरों की हीट एक्शन प्लान (HAPs) में अत्यधिक गर्मी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों का अभाव है, और जिन शहरों के पास ऐसी रणनीतियाँ हैं, उन्होंने उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है।

- हीट एक्शन प्लान (HAPs) एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और तैयारी रणनीति है जिसका उद्देश्य संवेदनशील आबादी पर अत्यधिक गर्मी के कारण पड़ने वाले स्वास्थ्य प्रभावों को कम करना है।

परिचय

- "क्या भारत उष्ण होते विश्व के लिए तैयार है?" शीर्षक से यह अध्ययन सस्टेनेबल फ्यूचर्स कोलैबोरेटिव (SFC) और कई अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों (किंग्स कॉलेज लंदन, हार्वर्ड, प्रिंसटन और यूसी बर्कले) द्वारा किया गया था।
- अध्ययन में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जहाँ खतरनाक ताप सूचकांक मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशंका है।

मुख्य निष्कर्ष

- अधिकांश शहरों में जल तक पहुँच और समायोजित कार्यसूची जैसे अल्पकालिक उपाय लागू हैं।
- दीर्घकालिक उपाय (जैसे, शीतलन विकल्प, खोए हुए कार्य के लिए बीमा, अग्नि प्रबंधन, और बिजली ग्रिड रेट्रोफिट) ज्यादातर अनुपस्थित हैं या खराब तरीके से कार्यान्वित किए गए हैं।
- अनेक कार्य, जैसे कि हरित क्षेत्र का विस्तार और शहरी छाया का विस्तार, गर्मी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली जनसंख्या को प्रभावी रूप से लक्षित नहीं कर रहे हैं।
- नियोजन में खामियों के कारण भविष्य में गर्मी से संबंधित मृत्युओं की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि हीट वेव अधिक बार-बार, तीव्र और लंबी हो जाएँगी।

क्या आप जानते हैं?

- NDMA के अनुसार, हीटस्ट्रोक से होने वाली मृत्यु 2020 में 530 से बढ़कर 2022 में 730 हो गई, लेकिन 2024 में संदिग्ध मृत्युओं की संख्या घटकर 269 और पुष्ट मृत्युओं की संख्या 161 रह जाएगी।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) राज्य प्राधिकरणों के सहयोग से 23 हीटवेव-प्रवण राज्यों में HAPs को क्रियान्वित कर रहा है।

सुझाव

- अध्ययन में अत्यधिक गर्मी के स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के लिए तत्काल प्रतिक्रियाओं और दीर्घकालिक रणनीतियों को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- दीर्घकालिक उपायों को लागू करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है।

Source :IE